



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
INCOME TAX DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF
COMMISSIONER OF INCOME TAX
PCCIT, NAGPUR AS CCIT AT NAG

To, EVISTA EYE CARE CENTRE PRIVATE LIMITED PLOT NO 14/1 OPP. DHANOLI PARK, DHANTOLI NAGPUR 440012, Maharashtra India	
--	--

PAN: AAACH4023P	Dated: 28/08/2026	DIN & Order No : ITBA/COM/F/17/2026-27/1092670921(1)
---------------------------	-----------------------------	--

Sir/ Madam/ M/s,

Subject: Proceedings under section 17(2) - Order

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप-धारा (2) का परंतुक का खंड (ii) का उप-खंड (ख) के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) (जो अब आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(2)(ख) तथा आयकर नियम, 2026 के नियम 18(1) के समतुल्य है)"के अंतर्गत अनुमोदन के नवीनीकरण का आदेश

Order for Renewal of Approval under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-section (2) of Section 17 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 3A(1) of Income-tax Rules, 1962 (now corresponding to Section 17(2)(b) of the Income-tax Act, 2025 Rule 18(1) of the Income-tax Rule 2026).

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप-धारा (2) के परंतुक का खंड (ii) का उप-खंड (ख) के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) (जो अब आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(2)(ख) तथा आयकर नियम, 2026 के नियम 18(1) के समतुल्य है)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर एतद्वारा **एविस्टा आइ केयर सेंटर प्राइवेट. लिमिटेड. (पैन-AAACH4023P),**

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document.
,Ayakar Bhavan,Civil Lines NGP, Civil Lines, TelangKhedhi Road, NAGPUR, Maharashtra, 440001
Email: CCIT.NAGPUR@INCOMETAX.GOV.IN,

जोकी, प्लॉट न. 14/1 ऑपोज़िट धंतोली पार्क, धंतोली, नागपुर- 440012, पर स्थित है, को उपर्युक्त धाराओं, उप-धारा (2) के खंड (ii) के परंतुक के तहत अनुमोदन प्रदान करती हूँ जोकि इस प्रयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश, मानक एवं निर्देश जो इस आदेश के 2, 3, 4 तथा 5 अनुच्छेद में दिए गए हैं, के अध्याधीन होगा । यह अनुमोदन इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर प्रदान किया जा रहा है ।

In exercise of the powers conferred on me under proviso (ii)(b) of sub-section (2) of Section 17 of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), read with Rule 3A of the Income-tax Rules, 1962, I, Pr. Chief Commissioner of Income-tax Nagpur, hereby approve **Evista Eye Care Centre Pvt. Ltd, (PAN-AAACH4023P), at Plot No. 14/1, Opposite Dhantoli Park, Dhantoli, Nagpur-440022**, for the purpose of the said section, sub-section, clause and proviso, and subject to the guidelines, norms and directions contained in paras 2,3,4 and 5 of this Order. This approval is granted on the basis of the recommendation of the Committee constituted in this regard.

2. कोई राशि जो नियोक्ता द्वारा सीधे **एविस्टा आइ केयर सेंटर प्राइवेट. लिमिटेड. (पैन-AAACH4023P), नागपुर- 440012** को कर्मचारी/उसके किसी परिजन के मेडिकल उपचार के लिए प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा, इस राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15, 16 एवं 17 के प्रयोजन हेतु अनुलब्धिया (Perquisite) नहीं माना जाएगा एवं कर्मचारी को प्राप्त होने वाली यह राशि आयकर से मुक्त होगी । नियोक्ता इस राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 (जो अब आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 392 के समतुल्य है) के तहत कर कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । कर्मचारी अपनी आयकर- विवरणी के साथ इस अस्पताल से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करेगा जिसमें उस रोग या व्याधिका उल्लेख होगा जिसके लिए मेडिकल उपचार की आवश्यकता थी तथा अस्पताल को भुगतान की गई राशि की रसीद भी संलग्न करना होगा । आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(2) (जो अब आयकर नियम, 2026 के नियम 18(1) के समतुल्य है), यथासंशोधित में उल्लेखित निम्नलिखित बीमारियाँ के उपचार हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

आंख, संबंधी व्याधि या रोग जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो;

स्पष्टीकरण: सर्जिकल ऑपरेशन में आधुनिक पद्धति जैसे लिथोट्रिप्सी, लेजर या क्रायोसर्जरी द्वारा उपचार शामिल है.

Ailment or disease of the eye, requiring surgical operation

Explanation: Surgical operation includes treatment by modern methodology such as lithotripsy, laser or cryosurgery.

Any sum paid by an employer, directly to **Evista Eye Care Centre Pvt. Ltd, (PAN- AAACH4023P), Nagpur-440022**, for the purpose of medical treatment of employee/ any member of family of employee, shall not be treated as a perquisite for the purpose of Sections 15, 16, and 17 of the Income-tax Act, 1961, and such sum shall be exempt from Income-tax in the hands of the employee. The employer will not be liable to deduct tax under Section 192 of the Income-tax Act, 1961, (now corresponding to Section 392 of the Income-tax Act, 2025,) in respect of such sum. The employee shall attach with his/ her return of income, a certificate from the said hospital, specifying the disease or ailment for which, medical treatment was required, and the receipt for the amount paid to the hospital. The approval is granted for treatment of the following diseases and ailments, as prescribed in Rule 3A(2) of the Income-tax Rules, 1962, (now corresponding to Rule 18(1) of the Income-tax Rule 2026,) as amended to date:

3. यह अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित नियम एवं और शर्तों के अधीन है:-

1. यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है ।
2. इस अनुमोदन में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक उपचार को शामिल नहीं है ।
3. अस्पताल सभी उचित समय पर आयकर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ।
4. यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा सांविधिक प्रावधानों/शर्तों की सतत अनुपालना के अध्याधीन होगा, जिनसे ऐसे अनुमोदन प्रदान किया जाना संचालित होता है तथा यह अनुमोदन प्रदान करने संबंधी सांविधिक प्रावधानों में आवश्यक होने पर तत्पश्चात किए गए बदलाव/संशोधनों जोकि सुधार/वापसी के अध्याधीन होगा ।
5. यदि किसी भी समय यह पाया गया कि अनुमोदन धोखे से या तथ्यों की गलत प्रस्तुति के आधार पर प्राप्त किया गया है, ऐसी स्थिति में किसी भी समय यह अनुमोदन वापस लिया जाएगा
6. जब अस्पताल आयकर अधिनियम 1961 (जो अब आयकर अधिनियम, 2025 के समतुल्य है) एवं समय-समय पर संशोधित आयकर नियम 1962 (जो अब आयकर नियम, 2026 के समतुल्य है) द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त की पूर्ति में असफल हो जाए, तब अस्पताल को ऐसे तथ्यों की सूचना तुरंत अनुमोदन प्रदानकर्ता प्राधिकारी को देनी होगी ।

This order of approval is subject to the following terms and conditions:

- (i) This approval is not transferable.
- (ii) The approval will not cover Indian systems of medicine and homoeopathic treatment.
- (iii) The hospital shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officers of the Income-tax Department, as are duly authorized in this behalf.
- (iv) This approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory provisions/ conditions governing the grant of such approval, and is also subject to modifications/ withdrawal, if necessitated by subsequent changes/ amendments to the statutory provisions governing the grant of approval.
- (v) This approval is subject to withdrawal at any time, if it is found that the approval has been obtained by fraud or through mis-representation of facts.
- (vi) In the event the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed by the Income-tax Act, 1961, and Income-tax Rules, 1962, as amended from time to time, it will be mandatory on the part of the Hospital to immediately notify the approval issuing authority of such fact.

4. यह अनुमोदन मात्र आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) की खंड (vi) के परंतुक (ii)(b) के प्रयोजन के लिए है (जो अब आयकर अधिनियम, 2025 धारा 17(2) के समतुल्य है) और इसे केंद्र सरकार अथवा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर या यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु सरकार के तहत कोई अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन ना समझा जाए ।

This approval is only for the purpose of proviso (ii)(b) to clause (vi) of sub-section (2) of Section 17 of the Income-tax Act, 1961, (now corresponding to Section

17(2)(b) of the Income-tax Act, 2025) and should not be construed as approval of the Central Government or the Principal Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur, or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

5. यह अनुमोदन दिनांक **27/08/2026** से प्रदान किया जाता है और यह **31/03/2027** तक लागू रहेगा। यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा आयकर अधिनियम 1961, (जो अब आयकर अधिनियम, 2025 की के समतुल्य है) के तहत अनुमोदन प्रदान करने संबंधी दिए गए प्रावधानों में किसी संशोधन से आवश्यक हुआ ऐसे सुधार जो नियम 3A(1), (जो अब आयकर अधिनियम, 2026 के नियम 18(1) के समतुल्य है) के तहत दी गई सांविधिक शर्तों का अस्पताल द्वारा सतत अनुपालन किए जाने के अध्याधीन रहेगा।

This approval is granted w.e.f. 27/08/2026 and shall remain in force up to 31/03/2027. This approval is subject to the Hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) (now corresponding to Rule 18(1) of the Income-tax Rule 2026) necessary for such approval and such modification, as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under the Income-tax Act, 1961, (now corresponding to the Income-tax Act, 2025).

6. अनुमोदन के नूतनीकरण का आवेदन वर्तमान अनुमोदन समाप्त होने की तिथि से कम से कम 60 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Application for renewal of approval, if any, should be submitted at least 60 days before the expiry of the current approval.

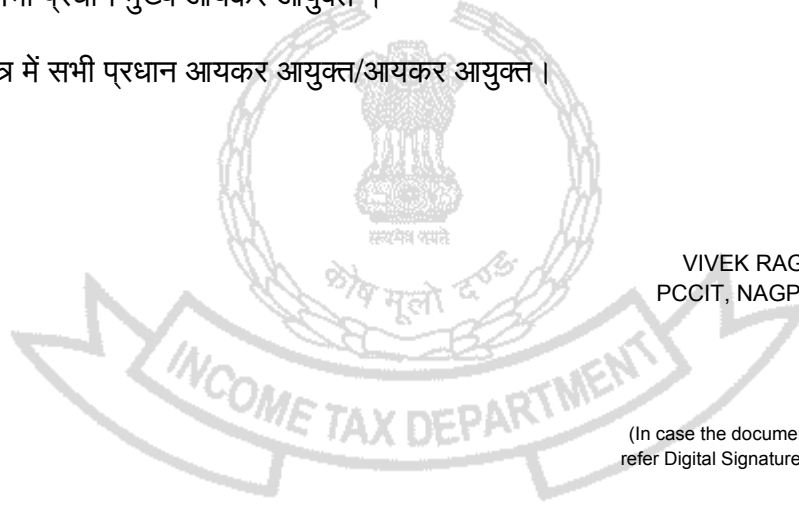
सेवा में,

डाइरेक्टर- एविस्टा आइ केयर सेंटर प्राइवेट. लिमिटेड. (पैन-AAACH4023P), प्लॉट न. 14/1
ऑपोज़िट धंतोली पार्क, धंतोली, नागपुर- 440012.

VIVEK RAGHUNATH WADEKAR
PCCIT, NAGPUR AS CCIT AT NAG

Copy to:

- 1.सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 001
- 2.भारत में सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ।
- 3.नागपुर क्षेत्र में सभी प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त ।



VIVEK RAGHUNATH WADEKAR
PCCIT, NAGPUR AS CCIT AT NAG

(In case the document is digitally signed please
refer Digital Signature at the bottom of the page)